



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 1367 का संशोधन सहित नवीकरण**

**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1367**

**विषय/ Sub: फ्यूल कंटेन्ट गेजिंग रियर मेन टैंक (आर एम टी) प्रोब, पार्ट सं.: 235800000/  
Fuel Content Gauging Rear Main Tank (RMT) Probe,  
Part No.: 235800000**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ- 226 016 द्वारा उत्पादित "फ्यूल कंटेन्ट गेजिंग रियर मेन टैंक (आर एम टी) प्रोब", पार्ट सं.: 235800000 को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1367, दिनांक: 25 सितम्बर 2008 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 1367 जारी किया गया था। तदुपरांत यह संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1367-1आर, दिनांक: 30 जनवरी 2014 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक था।

*This is to state that the "Fuel Content Gauging Main Tank (RMT) Probe" bearing the Part No.: 235800000, designed & developed by M/s Hindustan Aeronautics Limited, ASERDC, Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow-226 016, was issued with Type Approval No.: 1367 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1367, dated: 25<sup>th</sup> September 2008. It was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1367-1R, dated: 30 January 2014 with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*



2. आरसीएमए(लखनऊ) से पत्र सं: आरसीएमए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 13 नवम्बर 2018 द्वारा प्राप्त मांग के आधार पर प्राथमिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1367, दिनांक: 25 सितम्बर 2008 के परिशिष्ट-ए के पृष्ठ सं. 1 में निम्नलिखित को जोड़िए (अस्थायी मंजूरी के बाद):

*Based on request from RCMA (Lko) vide their letter Ref. No.: RCMA (Lko)/341 /3/Tech/4, dated: 13<sup>th</sup> November 2018, in page 1 of Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1367, dated: 25<sup>th</sup> September 2008, add the following (after Provisional Clearance No.)*

<i>Approved Component Build Standard(ACBS) No.:</i>	<i>235800000-264, Issue – 1N, dated: 07<sup>th</sup> August 2018</i>
---	--

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), डीआरडीओ, सेमिलैक, द्वारा एचएएल पोस्ट, लखनऊ – 226 016, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f 01<sup>st</sup> January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), DRDO, CEMILAC, C/o HAL Post, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

4. सेमिलैक/5070/टीए-1367, दिनांक: 25 सितम्बर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1367, dated: 25<sup>th</sup> September 2008 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु- 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

*All other conditions stipulated in the initial Type Approval Certificate remain unaltered and fully applicable.*

सं. /No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1367/2R

दिनांक /Date : 30 January 2019

फैक्स सं./Fax No: 080 – 25230856

K. G. J. R.



पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)